फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 –
प्रेषक,
कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

पत्रांक : सम्बद्धता/शि.अनु./2017/3660 दिनांक : 12/12/2017

सेवा में,

प्रबन्धक,
विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान, रहमत नगर, मानीराम, गोरखपुर।

विषय– **चयनित विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र **दिनांक 23.11.2017** के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि विभागाध्यक्ष के किसी अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में कार्यरत/ अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	विभागाध्यक्ष का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय
1	डॉ0 अशोक कुमार पाण्डेय	डॉ0 सूर्यनाथ पाण्डेय	08–07–1978	विभागाध्यक्ष, बी0एड0

नोट–

1. उपर्युक्त चयनित विभागाध्यक्ष का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया है कि यदि यह प्रकाश में आता है कि उक्त विभागाध्यक्ष कहीं अन्यत्र कार्यरत है, तो उनका अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. अनुमोदित विभागाध्यक्ष का वेतनमान/वेतन का स्पष्ट उल्लेख नियुक्ति पत्र एवं संविदा पत्र में करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा की स्थिति में अनुमोदन निरस्त माना जायेगा।

शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्याः 2443/सत्तर–2–2000–2(85)/97 दिनांकः 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. शासनादेश संख्याः 968/सत्तर–2–2013–18(99)/2013 दिनांकः 30, मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के छात्रों के शुल्क से प्राप्त सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा शिक्षकों के वेतन पर व्यय किया जाय तथा **शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतनमान/वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।** साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

12/12/2017

प्रभारी/अधीक्षक
(सम्बद्धता)